राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः विप0–3/क0से0/10/1/2021–457 दिनांकः29·10·2021

आदेश

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 के मा0 संचालक मण्डल की 159वीं बैठक दिनांक 12.02.2021 के मद संख्या–7 में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर मा0 संचालक मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

मद संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
7	मण्डी समितियों/परिषद कार्यालयों में आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स विभाग से मानको व शासनादेश संख्या–1200/78–1–2019–45 आई0टी0/2016 टीसी(ए0) दिनांक 03, जनवरी 2020 के अनुसार मोबाइल टावर के लिये भूमि उपलब्ध कराने तथा मण्डी परिसरों में विज्ञापन/होर्डिग आदि के द्वारा प्रचार–प्रसार व विज्ञापन के उपयोग को अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं यह निर्देश दिये गये कि मोबाईल टावर एवं विज्ञापन आदि के लिए प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिए गये उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में प्रदेश के मण्डी समितियों/मण्डी परिषद कार्यालयों में आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स विभाग से मानको व शासनादेश संख्या–1200/78–1–2019–45 आई0टी0/2016 टीसी(ए0) दिनांक 03, जनवरी 2020 के अनुसार मोबाइल टावर के लिये भूमि उपलब्ध कराने तथा मण्डी परिसरों में विज्ञापन/होर्डिग आदि के द्वारा प्रचार–प्रसार व विज्ञापन के उपयोग को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में मोबाईल टावर एवं विज्ञापन आदि के लिए प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता के अनुसार कार्यवाही करने की शर्ते व प्रकिया तय करने हेतु परिषद कार्यालय ज्ञाप संख्याः विप0–3/क0से0–मोबाईल टावर/2021–895 दिनांक 22.02'2021 द्वारा उप निदेशक(प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद मुख्यालय की अध्यक्षता में 07 सदस्यों की समिति गठित की गयी। गठित समिति द्वारा मण्डी परिसरों में मोबाईल टावर लगाये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी हैः–

मोबाइल टावर हेतु निम्नलिखित प्रकिया/शर्ते Tender/EOI की संस्तुतिः–

1. कम्पनी द्वारा स्थापित प्रत्येक मोबाइल टावर पर समुचित संख्या में LED Lights स्थापित की जायेगी, जिसका संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जायेगा।
2. कम्पनी द्वारा टावर/पोल पर यदि इलेक्ट्रानिक प्रचार प्रसार किया जायेगा तो मण्डी समिति का प्रचार–प्रसार हेतु 20 प्रतिशत समय Frequency निर्धारित किया जायेगा।
3. मोबाईल टावर/पोल पर LED लगाया जा सकेगा।
4. कम्पनी द्वारा मोबाईल टावर पर यदि स्थायी सीढियों बनवाई जाती हैं, तो सीढियों को समुचित ऊँचाई में चारों ओर से लोहे की ग्रिल अथवा कंटीले तार लगाकर घेरा जायेगा, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। उक्त के अतिरिक्त कम्पनी द्वारा मोबाईल टावर पर सुविधा की दृष्टि से फोल्डिंग सीढी का भी प्रयोग किया जा सकता है।
5. कम्पनी द्वारा सम्बन्धित मण्डी समिति में टावर लगाने के उपरांत मण्डी समिति को तीन निःशुल्क 10 MBPS डोंगल (Dongle) उपलब्ध कराया जाएगा। यह डोंगल मण्डी परिषद/मण्डी समिति के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपयोग में लाया जाएगा।
6. कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये Unlimited Data Plan डोंगल हेतु अनुबन्ध की अवधि तक निःशुल्क Unlimited Data Plan (up to 10 MBPS) प्रदान किया जाएगा। अनुबन्ध की अवधि के पश्चात् डोंगल हेतु

....2

किराए आदि का भुगतान, मण्डी समिति द्वारा होर्डिंग से प्राप्त होने वाली आय से किया जा सकेगा।

7. कम्पनी द्वारा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों तथा मण्डी समिति की सम्पत्ति पर नजर रखने हेतु सम्बन्धित मण्डी समिति के कार्यालय हेतु 06 एच0डी0कैमरा सी0सी0 टी0वी0 युक्त **wired** (अण्डरग्राउण्ड) डिजिटल रेकॉर्डर उपकरण को अधिष्ठापित कराया जाएगा।
8. 06 एच0डी0कैमरा (स्टोरेज कैपेसिटी 30 दिन) सी0सी0 टी0वी0 युक्त **wired** डिजिटल रेकॉर्डर उपकरण 05 वर्ष की अवधि हेतु निःशुल्क अनुरक्षण के अधीन होगा। इसके बाद अगले 05 वर्ष तक सशुल्क वार्षिक अनुरक्षण (AMC) की व्यवस्था कम्पनी द्वारा की जाएगी, जो मण्डी समिति द्वारा देय होगा।
9. कम्पनी द्वारा जिले में संचालित मण्डी समिति/मण्डी परिषद के परिसरों में 05 से अधिक टावर लगाये जाते हैं, तो जिले की सर्वाधिक मण्डी शुल्क जमा की जाने वाली मण्डी समिति के परिसर में एक सार्वजनिक शौचालय जिसमें 02 पुरूष एवं 01 महिला टायलेट के अतिरिक्त 03 पुरूष Urinal भी होंगे, की स्थापना की जाएगी एवं कम्पनी द्वारा एक वाटर ए0टी0एम0 की यूनिट लगायी जायेगी, जिसके लिये स्थान तथा पानी की सप्लाई की व्यवस्था मण्डी समिति द्वारा की जायेगी तथा सार्वजनिक शौचालय का अनुरक्षण मण्डी समिति द्वारा किया जायेगा।
10. सर्विस प्रोवाईडर कम्पनी को मण्डी समिति के परिसर में मोबाइल टावर लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1485/नौ–9–2012–161ज/12 दिनांक 15.10.2001 एवं संशोधित शासनादेश संख्या–286/नौ–9–2014–161ज/12 दिनांक 11.03.2014 में प्राविधानित शर्तो एवं निर्बन्धनो के अधीन अनुमति प्रदान की गयी हो।
11. सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऐसी निजी संस्थाओं को जो आप्टिकल फाइबर बिछाना चाहती है अधिकतम सुविधायें प्रदान किये जाने तथा ऐसी निजी संस्थाओं को आप्टिकल फाइबर बिछाने व उनका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने एवं उसका अनुरक्षण करने की अनुमति) अधिनियम–2001 लागू किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत राज्य सरकार को किसी लाइसेंन्स धारी को किसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर साथ–साथ, आर–पार, अन्दर या उस पर आप्टिकल फाइबर बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा–5 (2) से राज्य सरकार को ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह उचित समझे विहित निबन्धनों और शर्तो के साथ अनुमति प्रदान कर सकने की व्यवस्था है, जो नियमानुसार मान्य होगी।
12. कम्पनी द्वारा आप्टिकल फाईबर मण्डी प्रांगण में डालने पर रोड कटिंग या अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु सम्भावित व्यय की धनराशि अग्रिम के रूप में सम्बन्धित मण्डी समिति में जमा की जानी होगी। यदि कम्पनी द्वारा रोड कटिंग अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर को हुयी क्षति को ठीक न कराए जाने की स्थिति में उसकी मरम्मत मण्डी समिति द्वारा करायी जाती है तो मरम्मत पर होने वाले व्यय की धनराशि कम्पनी द्वारा जमा धनराशि से समायोजन करते हुए अवशेष धनराशि वापस की जायेगी।
13. कम्पनी द्वारा स्थापित किये जाने वाले टावर की गुणवत्ता की जांच मण्डी परिषद की तकनीकी समिति यथा–संबंधित उप निदेशक(प्रशा0/विप0) की अध्यक्षता में संबंधित उप निदेशक(वि0/यां0)/(निर्माण) एवं संबंधित मण्डी सचिव द्वारा की जायेगी। तदोपरान्त ही मोबाईल टावर लगाये जाने की सहमति दी जायेगी।
14. मण्डी परिसर में मोबाईल टावर लगाये जाने वाले स्थल का चयन संबंधित उप निदेशक (प्रशा0/विप0) की अध्यक्षता में संबंधित उप निदेशक(वि0/यां0)/(निर्माण) एवं संबंधित मण्डी सचिव द्वारा किया जायेगा।
15. उपरोक्त नियमों व आवंटन प्रक्रिया/शर्तो में संशोधन परिवर्तन/परिवर्धन करने का पूर्ण अधिकार मण्डी निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0 में निहित होगा, जो सर्वमान्य होगा।
16. दोनों पक्षों में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण निदेशक, मण्डी परिषद,उ0प्र0 को संदर्भित किया

....3

जाएगा तथा उनका अन्तिम निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

17. समस्त प्रकार के उत्पन्न विवादों के प्रकरण के निस्तारण हेतु न्याय क्षेत्र अनुज्ञा पत्र से सम्बन्धित जनपद का जिला जज का न्यायालय होगा। आवंटी को उपरोक्त समस्त शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

अतएव मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में मण्डी समितियों/परिषद कार्यालय में मण्डी समितियों/परिषद कार्यालय परिसर में आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मानको व शासनादेश संख्या–1200/78–1–2019–45 आई0टी0/2016 टीसी(ए0) दिनांक 03, जनवरी 2020 के अनुसार मोबाइल टावर के लिये भूमि उपलब्ध कराने के उपयोग को अनुमन्य किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार उपरोक्त प्रकिया एवं शर्ते लागू की जाती है तथा इसका किराया अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड ले0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या–778/आर0–4/20 दिनांक 15.02.2020 के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (म0क्षे0) लो0नि0वि0 लखनऊ द्वारा सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सर्कुलर दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर–5 में दिये गये फार्मूले के अनुसार वार्षिक किराये की गणना (DM Circle Rate x Area x 10%/ 3) के आधार पर मण्डी परिसरों की भूमि के किराये की गणना निर्धारित की जाती है।

मण्डी समिति/मण्डी परिषद के कार्यालय परिसर में मोबाईल टावर के लिए भूमि का चयन करते समय विशेष रूप से सजगता बरती जाये कि चयनित भूमि पर मण्डी समिति/मण्डी परिषद के परिसर की अन्य योजनाओं का प्रभाव न पड़े। भविष्य में कृषि सम्बन्धी उपकरणों के विक्रय तथा पेट्रोल पम्प आदि के व्यापार होने की सम्भावना के दृष्टिगत मण्डी के प्रवेश एवं निकास द्वार से 100 मी0 भीतर की दूरी तक जगह न दी जाये। यदि इससे कम गहराई उपलब्ध हो तो पीछे भाग की बाउण्ड्री के समीप का स्थान आवंटित किया जाये।

मोबाईल टावर की स्थापना में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए निदेशक,मण्डी परिषद सक्षम होंगे। मोबाईल टावर के स्थल का आवंटन मण्डी समिति की संस्तुति के आधार पर सम्बन्धित सम्भाग के उप निदेशक (प्रशा0/विप0) द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार प्रदेश के मण्डी समिति/मण्डी परिषद के परिसरों में मोबाईल टावर की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(अंजनी कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वित्त नियंत्रक मण्डी परिषद मुख्यालय।
2. मुख्य अभियन्ता मण्डी परिषद मुख्यालय।
3. समस्त उप निदेशक(प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद उ0प्र0।
4. समस्त सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ उ0प्र0।
5. समस्त उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद उ0प्र0।
6. उप निदेशक (निर्माण) अनुरक्षण खण्ड मण्डी परिषद मुख्यालय।
7. समस्त उप निदेशक(विधुत यांन्त्रिक)मण्डी परिषद उ0प्र0।
8. सिस्टम एनॉलिस्ट मण्डी परिषद मुख्यालय को मण्डी परिषद की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(निधि श्रीवास्तव)
अपर निदेशक(प्रशासन)
29/10/20